न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 100/2024 **दायर दिनांकः 24.07.2024**

उनवान

1. मोहनबाई पुत्री काना पत्नि बालूसिंह जाति नाई नि. मायाखेडी तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वकील प्रार्थी :– श्री संजय दांगी एवं श्री महेन्द्रसिंह जैन
अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 02.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम खैराना पटवार हल्का खैराना भू०अभि०नि० पिड़ावा तह० पिड़ावा में नई खाता संख्या 111 व पुरानी खाता संख्या 97 की आराजी खसरा नं. 367 रकबा 1.1761 है० स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न है। यह कि उक्त आराजी में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा प्रार्थीया के नाम दर्ज है नोदानबाई पुत्री काना जाति नाई निवासी मायाखेड़ी तह० पिड़ावा जिला झालावाड़ राज. सहखातेदार मायाखेड़ी दर्ज है जो कि राजस्व रेकार्ड में इन्द्रजा के दौरान त्रुटिवश लिखा गया है जबकि विरासत में नामांतरण संख्या 351 में प्रार्थीया का मोहनबाई पुत्री काना दर्ज है जो सेक्रिकेशन से जमाबंदी नोदानबाई पुत्री काना हो गया है जो अशुद्ध है तथा प्रार्थीया शुद्ध नाम मोहनबाई पुत्री काना है जो शुद्ध किये जाने योग्य है। यह कि अन्य [illegible] संख्या 112 ग्राम खैराना की जमाबंदी में प्रार्थीया का [illegible] नाम मोहनबाई [illegible] काना दर्ज है जो कि विरासत से नामांतरण संख्या [illegible] दर्ज हुआ है। यह कि नामांतरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जि[illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 351 दिनांक 27.07.1989 में दर्ज शजरा एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम विरासत से मोहनबाई पुत्री काना दर्ज हो रहा है। यह कि प्रार्थीया श्रीमान तहसीलदार पिड़ावा में शुद्धी हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जो कि पटवारी हल्का पिड़ावा से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी। जिस पर पटवारी हल्का खैराना की जांच रिपोर्ट दिनांकः 05.10.2023 में भी प्रार्थीया का नाम सेक्रिकेशन से जमाबंदी में नोदानबाई पुत्री काना हो गया है तथा प्रार्थीया का शुद्ध नाम मोहनबाई पुत्री काना है जो कि शुद्ध किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का तथा तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खैराना पटवार हल्का खैराना भू०अभि०नि० पिड़ावा तह० पिड़ावा में नई खाता संख्या 111 व पुरानी खाता संख्या 97 की आराजी खसरा नं. 367 रकबा 1.1761 है० में प्रार्थीया का नाम नोदानबाई पुत्री काना की जबकि शुद्धी कर मोहनबाई पुत्री काना दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1915 दिनांक 15.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का से जांच करवाई गई। राजस्व रिकार्ड में जांच करने पर पाया गया पुराना खाता न0 97 व नया खाता स० 111 में वर्तमान में नोदान बाई पुत्री काना दर्ज है जबकि विरासत का नाम स० 351 में प्रार्थीया का नाम मोहनबाई का दर्ज है। जो सेगिग्रेशन से जमाबन्दी में नोदानबाई पुत्री काना हो गया जो अशुद्ध हैं। प्रार्थी के अन्य खाता स० 112 में मोहनबाई पुत्री काना दर्ज हैं जो की सही हैं जो की विरासत से ही दर्ज हुआ है। प्रार्थी मोहनबाई पुत्री काना किया जाना ही सही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम खैराना की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 111, 112 की नकल, पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2023, नामा.सं. 351 की प्रमाणित नकल, आधारकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र की छायाप्रति पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का खैराना की रिपोर्ट दिनांक 28.08.2024, ग्राम खैराना का नामा.सं. 351 की छायाप्रति, ग्राम खैराना की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 112, 111 की प्रमाणित प्रति पेश की।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खैराना तहसील पिड़ावा में खाता संख्या 111 की आराजी खसरा नं. 367 रकबा 1.1761 है० में प्रार्थीया नोदानबाई पुत्री काना जाति नाई निवासी मायाखेड़ी का 1/8 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हो रहा है जबकि विरासत नामांतरण संख्या 351 में पटवारी हल्का खैराना द्वारा अंकित शजरे में प्रार्थीया का सही नाम मोहनबाई पुत्री काना अंकित है। नामांतरण संख्या 351 दिनांक 27.07.1990 में दर्ज शजरा एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम विरासत से मोहनबाई पुत्री काना दर्ज हो रहा है परन्तु जमाबंदी तैयार करते समय सहवन से मोहनबाई पुत्री काना के बजाय नोदानबाई पुत्री काना दर्ज हो गया है जो कि अशुद्ध है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थीया का नाम राजस्व कार्मिको द्वारा गलत दर्ज कर देने प्रार्थीया को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें। प्रार्थीया के ग्राम खैराना का खाता संख्या 112 में प्रार्थीया का सही नाम मोहनबाई पुत्री काना दर्ज है जो कि विरासत से नामांतरण संख्या से ही दर्ज हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खैराना के खाता स० 111 में वर्तमान में नोदान बाई पुत्री काना दर्ज है जबकि विरासत का नाम स० 351 में प्रार्थीया का नाम मोहनबाई पि. काना का दर्ज है। जो जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से मोहनबाई पुत्री काना के बजाय नोदानबाई पुत्री काना दर्ज हो गया। प्रार्थीया के अन्य खाता स० 112 में मोहनबाई पुत्री काना दर्ज हैं जो की सही हैं जो की विरासत से ही दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थीया का सही व शुद्ध नाम मोहनबाई पुत्री काना दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खैराना तहसील पिड़ावा के खाता संख्या 111 की आराजी खसरा नं. 367 रकबा 1.1761 है० में प्रार्थीया नोदानबाई पुत्री काना जाति नाई निवासी मायाखेड़ी का 1/8 हिस्सा दर्ज है। ग्राम खैराना के नामांतरण संख्या 351 दिनांक 27.07.1990 में पुश्त पर अंकित शजरा एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम मोहनबाई पुत्री काना दर्ज हो रहा है परन्तु नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा नामा. तस्दीक करते समय नोदानबाई अंकित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित मोहनबाई को किस आधार पर नोदानबाई किया गया, स्पष्ट नहीं है और न ही कोई साक्ष्य संलग्न है। परिणामतः जमाबंदी में मोहनबाई पुत्री काना के बजाय नोदानबाई पुत्री काना दर्ज अंकित हो गया जो कि अशुद्ध है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने भी अपनी गलती को स्वीकार क रनाम दुरूस्त करने की सहमति दी है। राजस्व विभाग द्वारा बिना आधार के की गई त्रुटी के लिए प्रार्थी खातेदार को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं [illegible] ग्राम खैराना तहसील पिड़ावा के खाता संख्या 111 की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

1761 है० कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम खैराना तहसील पिड़ावा के खाता संख्या 111 की आराजी खसरा नं. 367 रकबा 1.1761 है० में प्रार्थी का नाम नोदानबाई पुत्री काना के बजाय मोहनबाई पुत्री काना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/12/2024

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.13 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner